न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–शिवपुरी

धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द जैन, निवासी– चांद दरवाजा करैरा, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

(1) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति करैरा

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–शिवपुरी

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1845-III/2011 अपील में पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामल के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् नहीं की गई थी और न ही समस्त हितधारी व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने से पूर्व किसी भी प्रकार की सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अतः इस कारण विचारण न्यायालय के सीमांकन आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय में पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 68/2001–2002 प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 18.11.2002 द्वारा अस्वीकार किया गया।

2– यहकि, कलेक्टर शिवपुरी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुनरीक्षण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्रमांक 88/02–03 पर पंजीबद्ध किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाये जाने के आदेश दिये गये थे, किन्तु उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे तथा इसी बीच प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक के अभिभाषक श्री राजाराम शर्मा का स्वर्गवास हो गया था। अतः इस कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके और प्रकरण तारीख पेशी दिनांक 15.07.2008 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

3– यहकि, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 2954–दो/13 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यू आवेदन इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 1845–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 03–5–12 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया, परन्तु अभिभाषक की मृत्यु के कारण रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत करने में सात वर्ष का विलम्ब माफ किया जाना उचित नहीं का जा सकता है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया। आवेदक अभिभाषक ने वही आधार दौहराये हैं जिनका निराकरण मूल निगरानी के आदेश में किया जा चुका है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस	

समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

इस प्रकार आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य